

सन्दर्भ सं० :-PG/NR-1/Roorkee/DDN-BPT/RTI/.

दिनांक:- 25.09.2020

सेवामें,

श्री राजकुमार पावर

निवासी & पोस्ट :- सरौली हरिया

सहरानपुर (उत्तरप्रदेश)


विषय :- आपके द्वारा RTI दिनांक 21.08.2020 में मांगी गई जानकारी के सम्बन्ध में ।

महोदय,

आपके सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत मांगी गई सूचना का विवरण निम्न प्रकार है -

श्री प्रीतम सिंह पुत्र रामसिंह निवासी सरौली हरिया, तहसील- रामपुर मनिहारन, जिला सहरानपुर को फसलों व वृक्षों के नुकसान हेतु भेजे गये नोटिस स. 97 दिनांक 31.07.2014, नोटिस स. 915 दिनांक 09.10.2014, नोटिस स.2494 दिनांक 30.05.2015, नोटिस स.12 दिनांक 17.07.2014 व नोटिस स. 276 दिनांक 30.05.2015 के नोटिसों की फोटोकॉपी की की प्रमाणित प्रति सलग्न हैं ।

भवदीय


(देवेश कुमार सिंह)

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
मुख्य प्रबंधक (टी.एन.) / Chief Manager (T.L.)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के.वी. उपकेंद्र, पुलना, रुन्की-247667
400/220 KV Substation, Pulana, Runkhi-247667



प्रपत्र एक
सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

(सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 (1) के अन्तर्गत आवेदन-पत्र का प्रारूप)

1. आवेदक का नाम राजकुमार पंवार
2. पूरा पता / ई-मेल / फैंक्स जिस पर जानकारी प्रेषित की जानी है ग्राम # पोस्ट साठौली हरिया
तहशील रामपुर मर्मिठ जिला सहरनपुर
3. दूरभाष क्रमांक 8445261000
4. आवेदन देने का दिनांक 21-8-2020
5. कार्यालय का नाम जनसूचना अधिकारी / पावर ग्रिड कारपोरेशन आफ इण्डिया लि० रुड़की
6. चाही गई जानकारी का विवरण आप परेषण लाइन के निर्माण में श्री प्रीतम सिंह पुत्र रामसिंह
निवासी ग्राम # पोस्ट साठौली हरिया तहशील रामपुर मर्मिठ जिला सहरनपुर को कस
व वृष्टो के नुकसान देव भेजे गये नोडिस संख्या 97 दिनांक 31-7-2014 (3)
नोडिस 915 9-10-2014 (3) 2454 30-5-2015 (4) 12 दिनांक 17-7-2014 व 276
दिनांक 30-5-2015 की प्रमाणित प्रति उपलब्ध कराये, हाथपति संलग्न है
7. क्या चाहते हैं नकल / निरीक्षण / रिकार्ड निरीक्षण / रिकार्ड की प्रमाणित प्रति / प्रमाणित नमूना :
8. आवेदन के साथ अदा किये जाने वाले प्रोसेस फी-रूपये 10 /- नगद / स्टॉम्प (बी०पी०एल० सूची के सदस्य को देय नहीं)
रसीद क्र० नोट स० 9411352901 एवं दिनांक 21-8-2020
9. क्या आवेदक शरीवी रेखा के नीचे है अथवा नहीं - हां / नहीं
यदि हां तो बी०पी०एल० सूची का अनुक्रमांक


हस्ताक्षर
(आवेदनकर्ता)

टीप - यदि आवेदक द्वारा डाक से आवेदन प्रेषित किया जाता है तो आवेदन पत्र पर रूपये 10 /- का नान जडिशियल स्टॉम्प चरसा करते हुए आवश्यक राशि का डाक टिकट लगा लिफाफा संलग्न प्रेषित करें।

पावती


1. आवेदन प्राप्त होने का दिनांक :
 2. आवेदनकर्ता को वांछित जानकारी प्राप्त करने के सम्बन्ध में अग्रिम कार्यवाही हेतु उपस्थित होने का दिनांक
 3. सम्बन्धित शाखा / अधिकारी जहाँ से जानकारी उपलब्ध होगी :
- (लोक सूचना अधिकारी / सहायक लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्राधिकृत)

दिनांक :



प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर
पदनाम (रबर सील)

S/No.	Notice No. & Date	Name & father Name	Village	Comp. Type
1	2494/14.06.15	Ompal S/O Rakam Singh	Sarauli hariya	Crop
2	2495/14.06.15	Nabab singh S/O Rakam singh	Sarauli hariya	Crop
3	97/31.07.14	Pritam singh, S/O Ram singh	Sarauli hariya	Crop
4	915/04.10.14	Pritam singh S/O Ram singh	Sarauli hariya	Crop
5	927/09.10.14	Ompal S/O Rakam Singh	Sarauli hariya	Crop
6	2454/30.05.15	Pritam singh S/O Ram singh	Sarauli hariya	Crop
7	2253/01.07.15	Mange Ram S/O Rati Ram	Sarauli hariya	Crop
8	12/17.07.14	Pritam singh S/O Ram singh	Sarauli hariya	Tree
9	276/30.05.15	Pritam singh S/O Ram singh	Sarauli hariya	Tree
10	404/01.06.15	Ompal S/O Rakam Singh	Sarauli hariya	Tree
11	406/01.06.15	Nabab singh S/O Rakam singh	Sarauli hariya	Tree
12	280/29.05.15	Mange Ram S/O Rati Ram	Sarauli hariya	Tree


 के० एस० पाण्डेय
 मु० प्रबन्धक (पारेषण साईन)
 पवरग्रिड, रुड़की

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०



(भारत सरकार का उद्यम)

महाराज कॉलोनी, बलिया खेड़ी ब्लॉक के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ०प्र०)

पावर ग्रिड

सं० पावर ग्रिड/सहारनपुर/

दिनांक 31/2/14

सं० 87
 नाम श्री श्रीतम सिंह
 पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राज सिंह
 पत्नी रानी हरिया
 पो० रामपुर
 जिला सहारनपुर

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 में निहित कर्तव्यों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत उद्यम का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनाते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवशा उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके द्वारा कर दिया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का मुग्रतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

कार्य का विवरण

लिसेन्स नम्बर	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
33/14	लाइन निर्माण	धान	50 x 60 = 3000 वर्ग मीटर

भवदीय
 वास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

श्रीतम सिंह पु०/पत्नी राज सिंह
 मैं स्वीकार करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा इस कार्य में मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

हस्ताक्षर Ajit Singh

किया जाता है उपरोक्त फसल के स्वामी श्री श्रीतम सिंह पु०/पत्नी राज सिंह
 तहसील रामपुर जिला सहारनपुर है।

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400 / 220 के०वी० उपकेंद्र, पुहाना, रुड़की-247667
 400 / 220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667

हस्ताक्षर
 नाम ग्राम प्रधान
 जिला

तहसीलदार-तहसील
 मैं स्वीकार करता हूँ कि ऊपर लिखित

किया जायेगा कि उपरोक्त फसल की क्षतिपूर्ति के लिए फसलों की हानि का मूल्यांकन कराने का कार्य

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(भारत सरकार का उद्यम)



पावर ग्रिड

दिनांक 4.10.14

महादेव कॉलोनी, बलिया खेड़ी ब्लॉक के सामने, दिल्ली रोड, सहारनपुर (उ०प्र०)

पत्र सं० पावर ग्रिड/सहारनपुर/

क्र. सं. 915

दिनांक

पत्नी/श्रीमती प्रियंका सिंह पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री राजेश सिंह
 नाम सरोजनी शर्मा पं० इलाहाबाद
 तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर

भेद्य/महोदया,

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 में निहित कानून का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत उद्यम का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रुड़की-सहारनपुर पैकेज के बनावते समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की क्षति से कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपके खर्च पर पुनर्स्थापित किया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

क्षति का विवरण

प्लॉट लोकेशन संख्या	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
33/4	राजस्व जमा	गेहूँ	50x62 = 3100 वर्ग मीटर

भवदीय
 वास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

प्रियंका सिंह पु०/पत्नी राजेश सिंह

गवाह करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग द्वारा किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा इस कार्य में मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

स्वामी का हस्ताक्षर Prityn Singh

गवाह किया जाता है उपरोक्त फसल के स्वामी श्री प्रियंका सिंह पु०/पत्नी राजेश सिंह
 पत्नी नाम सरोजनी शर्मा तहसील सहारनपुर जिला सहारनपुर है।
 हस्ताक्षर Devesh Kumar Singh
 नाम गाम प्रधान

लिपि तहसीलदार-तहसील देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400 / 220 के०वी० उपकेन्द्र, पुहाना, रुड़की-247667
 400 / 220 KV Substion, Puhana, Roorkee-247667

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

(भारत सरकार उद्यम)

400/220 के वी. उपकेंद्र, ग्राम मोहनपुर गाँव, पोस्ट-अखंडा, दिल्ली रोड, सहारनपुर - 247451



पावर ग्रिड

पत्रसं० : पावर ग्रिड/सहारनपुर/

2454

दिनांक 21/11/20

सेवा में,

श्री/श्री मती

प्रित्तन सिंह

पुं०/पत्नी श्री

राज सिंह

ग्राम

सहाली हरिया

पो०

रामपुर

तहसील

रामपुर

जिला

सहारनपुर

महोदय/महोदया,

भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 अनुच्छेद 164 व भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 अनुच्छेद 10 से 19 निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आपको सूचित किया जाता है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि० (भारत सरकार विद्युत मंत्रालय का उद्यम) द्वारा 400 के०वी०डी०/सी० रूड़की-सहारनपुर पैकेज के बनावे समय उचित ध्यान रखा जायेगा कि आपकी फसल की कम से कम क्षति हो, फिर भी अपरिहार्य कारणोंवश उपरोक्त लाईन निर्माण के समय नष्ट हुई आपकी फसल को आपका सुपुर्द कर दिया जायेगा। क्षतिग्रस्त फसल की क्षतिपूर्ति, जो राजस्व विभाग या उसके द्वारा निर्धारित/निर्देशित किसी अन्य सक्षम अधिकारी विभाग द्वारा निर्धारित की जायेगी, का भुगतान स्वामित्व सत्यापन के उपरान्त किया जायेगा।

फसल का विवरण

टावर लोकेशन संख्या	कार्य विवरण	फसल	क्षेत्रफल
33/4	नए लाईन	जन्त	

भवदीय

चास्ते पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०

में प्रित्तन सिंह पुं०/पत्नी राज सिंह

सत्यापित करता हूँ कि उपरोक्त फसल का स्वामी हूँ, जिसका राजस्व विभाग किया गया मूल्यांकन मुझे स्वीकार होगा तथा क के लिए मेरी सहमति प्रदान करता हूँ।

भूस्वामी का हस्ताक्षर
Abhay Kumar

प्रमाणित किया जाता है उपरोक्त फसल के स्वामी श्री प्रित्तन सिंह पुं०/पत्नी राज सिंह
निवासी ग्राम सहाली हरिया तहसील रामपुर जिला सहारनपुर
हस्ताक्षर नाम ग्राम प्रधान

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
मुख्य प्रबंधक (टी. एन.) / Chief Manager (T.L.)
पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
Power Grid Corporation of India Limited
400/220 के०वी० उपकेंद्र, पुहाना, रूड़की-247667
400 / 220 KV Substation, Puhana, Roorkee-247667

प्रतिलिपी : तहसीलदार-तहसील
आपको अनुरोध है कि ऊपर लिखित

फसलों की हानि का मूल्यांकन कराने का

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०

(भारत सरकार का उद्योग)

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०, दिल्ली रोड, कानपुर (उ०प्र०)

संख्या: 400/220/उ०प्र०/2015

दिनांक: 29/7/15

किसी के नाम पर: श्री. देवेंद्र सिंह
 पता/पुत्री/पत्नी के नाम पर: श्री. देवेंद्र सिंह
 जन्म: 29/7/15

विषय: 400 के.वी. रुड़की-सहरनपुर पारंपण लाइन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों को काटने के सम्बन्ध (भारतीय टेलीग्राफ अधिनियम 1885 को अन्तर्गत सूचना)

सूचना

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके कुछ वृक्ष जिनका विवरण नीचे दिया गया है उपरोक्त पावर लाइन के मार्ग में आ रहे हैं। विद्युत सुरक्षा नियमों के अधीन (इंस्ट्रक्शन इलेक्ट्रीसिटी एक्ट 20 03 (अद्यतन संशोधित) एवं जनसुरक्षा के कानून) आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र के प्राप्त होने के 30 दिनों के अन्दर सम्बन्धित घन विभाग के कार्यालय से निम्नलिखित प्रश्नों का निम्नलिखित प्रश्नों को काट दें। वृक्षों का मुआमला सम्बन्धित राजस्व/विन/उद्योग विभाग द्वारा निर्धारित किण्विक वृक्षान्तन दर/कीमत/द्वारा सम्बन्धित सामान्य के उपरान्त आपको पावर ग्रिड द्वारा किया जायेगा।

वृक्षों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	वृक्ष की प्रजाति	वृक्षों की लंबाई (के.मी.) एवं संख्या					अन्य वि.
			1-30	30-45	45-60	60-75	75-90	
1	श्री. देवेंद्र सिंह	पेड़	2	1	123	47	36	
		श्री. देवेंद्र सिंह			56	7		

यदि आपका जवाब है कि मुकदमाने हुए वृक्षों का अन्तर्गत में से एकमात्र सामग्री है यदि इस पर कोई स्थानिक विवाद होता है तो उसके निम्न में कार्य उत्तरदायी सूचना।

अधीन सूचना

पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लि०
 कानपुर (उ०प्र०)

पावर ग्रिड प्रतिनिधि के।

श्री. देवेंद्र सिंह

देवेश कुमार सिंह

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
 Power Grid Corporation of India Limited
 400 / 220 के.वी. उपकेंद्र, पुहाना, रुड़की-247667
 400 / 220 KV Substation, Puhana Roorkee-247667

पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लि०



(मानव संसाधन का विभाग)

सम्बन्धित इलेक्ट्रिक, वोल्टता खाड़ी अक्षांक के सामने, दिल्ली रोड, सहायनपुर (उ.प्र.)

संख्या: 400/220 सहायनपुर/वृक्ष/12

दिनांक 12/02/21

प्रति,
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 400/220 के.वी. उप-केंद्र, सहायनपुर (उ.प्र.)

विषय: 400 के.वी. रुडकी-सहायनपुर पावरलाइन के मार्ग में पड़ने वाले वृक्षों को काटने के सम्बन्ध में
 (भारतीय टेलीघ्राफ अधिनियम 1885 के अन्तर्गत सूचना)

प्रति,
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड

इस पत्र के माध्यम से आपको सूचित किया जाता है कि आपके कुछ वृक्ष विभाग के 400 के.वी. पावरलाइन के मार्ग में पड़ रहे हैं। विद्युत सुरक्षा विभाग की अधीन (इलेक्ट्रिक इन्फ्रस्ट्रक्चर एक्ट 2003) एवं अनुसूचित को ध्यान में रखा जा रहा है। वृक्षों को काटने के अर्थ में आवश्यक है।
 अतः आपसे अनुरोध है कि आप इस पत्र से प्राप्त होने के 10 दिनों के अन्दर सम्बन्धित वृक्ष विभाग के कार्यालय से नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर निर्धारित वृक्षों को काट लें। वृक्षों का कुत्सायन सम्बन्धित सहायनपुर/उद्यान विभाग द्वारा निर्धारित किया जाएगा।
 विभाग के पत्राचार प्रणाली के माध्यम से सम्बन्धित सहायनपुर के उपस्थित वृक्षों पावर ग्रिड द्वारा किया जाएगा।

वृक्षों का विवरण

क्र. सं.	वृक्ष का नाम	वृक्ष की जाति	वृक्ष की लंबाई (से.मी.) का वर्गीकरण								अन्य विवरण	
			1-30	31-60	61-90	91-120	121-150	151-180	181-210	211-240		
1		55	115	08						
2				01						
3										
4										
5										

मे संतुष्टिपूर्वक रूप से है कि अनुसूचित वृक्षों का काटना
 में ही एकमात्र शर्त है कि यदि वृक्ष पर कोई सम्बन्धित विभाग
 होता है तो अंतर्गत लिंक में वृक्ष काटने के लिए अनुमति
 प्राप्त करके वृक्ष काटने के लिए अनुमति

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 12/02/21

पावर ग्रिड प्रतिनिधि के हस्ताक्षर

- 1. सम्बन्धित कार्यालय
- 2. सम्बन्धित वृक्ष
- 3. सम्बन्धित विभाग के सम्बन्धित अधिकारी को

देवेश कुमार सिंह / Devesh Kumar Singh
 मुख्य प्रबंधक (टी. एल.) / Chief Manager (T.L.)
 पावर ग्रिड कारपोरेशन ऑफ इण्डिया लिमिटेड
 400/220 के.वी. उप-केंद्र, पुहाना, रुडकी-247667
 400/220 KV Subststion, Puhana, Roorkee-247667